भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3505

(शुक्रवार, 16 मार्च, 2018/25 फाल्गुन, 1939 (शक) को दिया गया)

आई.ए.पी. के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों का चयन

3505. श्री रामसिंह राठवाः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में निवेश जागरूकता कार्यक्रम (आई॰ए॰पी॰) आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके उद्देश्य एवं मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस उद्देश्य हेतु ग्रामीण क्षेत्रों का चयन करने के लिए क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) मौजूदा वर्ष के दौरान आवंटित एवं उपयोग की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क) और (ख): निवेशक जागरूकता कार्यक्रम (आईएपी) धोखाधड़ी वाली योजनाओं के बारे में निवेशकों में जागरूकता लाने, सुविचारित निवेश निर्णयों में मदद करने और उपचारात्मक अवसरों और शिकायत निवारण तंत्रों के बारे में निवेशकों को जागरूक करने के उद्देश्य के साथ आयोजित किए जाते हैं।

(ग): सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) ई-गवर्नेंस लिमिटेड ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित लोगों तक अधिक से अधिक पहुंच के लिए विलेज लेवल इंटरप्रिनियर्स (वीएलई) के माध्यम से निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। पंचायत स्तर पर, सामान्य सेवा केन्द्रों का चयन वीएलई के अनुभव और उनके द्वारा किए गए कार्यकलापों के आधार पर किया जाता है।

(घ): दिनांक 28.02.2018 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 5.29 करोड़ रुपये के आबंटन में से 4.07 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

*****